राजस्थान सरकार

चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग

क्रमांकः प.1(1)चिस्वा/ग्रुप–2/2020 जयपुर, दिनांक : 27.03.2020

एडवायजरी

विश्व स्वास्थ्य संगठन तथा संयुक्त राष्ट्र द्वारा कोरोना वायरस (COVID-19) संक्रमण को Pandemic घोषित करने के पश्चात भारत सरकार एवं राज्य सरकार द्वारा समय–समय पर इस बीमारी के संक्रमण से बचाव हेतु विभिन्न दिशा–निर्देश जारी किये गये है। आमजन एवं अन्य Enforcement एजेन्सियों में मेडिकल मास्क के उपयोग एवं निस्तारण बाबत कुछ भ्रान्तियां है। पुलिस कर्मियों द्वारा भी आमजन को मास्क का प्रयोग करने हेतु निर्देशित किया जा रहा है। इसी प्रकार अन्य निजी संस्थानों द्वारा भी अपने कार्मिकों को ऐसा करने के लिए कहा जा रहा है। सामान्य रूप से आमजन में यह भ्रम है कि यदि मास्क का घर या घर के बाहर उपयोग कर रहे है तो वह सुरक्षित है। इस भ्रम के कारण बाजार में मास्क की कृत्रिम कमी उत्पन्न होने की आशंका है। साथ ही आमजन में मास्क के उपयोग के पश्चात उसके समुचित निस्तारण की जानकारी भी आवश्यक है। ऐसी स्थिति में विभाग द्वारा समसंख्यक एडवायजरी दिनांक 17.03.2020 की निरन्तरता में मेडिकल मास्क के उपयोग एवं निस्तारण के संबंध में आमजन एवं अन्य Enforcement एजेन्सियों हेतु निम्नानुसार एडवायजरी जारी की जाती है:–

1. स्वस्थ व्यक्तियों जिनमें संक्रमण के कोई लक्षण नहीं है, उन्हें मास्क की आवश्यकता नहीं है। मास्क का प्रयोग इन व्यक्तियों में सुरक्षा की झूठी भावना को पैदा कर सकता है, जिससे से व्यक्ति सुरक्षा के अन्य आवश्यक उपायों की उपेक्षा कर सकते है, जैसे हाथ धोना, सामाजिक दूरी बनाये रखना आदि।
2. **मेडिकल मास्क का कब व किसे करना है (चिकित्सा कर्मियों के अलावा)**
    - कफ, खांसी या बुखार होने पर
    - चिकित्सक को दिखाने जाने पर
    - किसी बीमार/संक्रमित/संदिग्ध व्यक्ति की देखभाल करने पर
    - संदिग्ध/संक्रमित व्यक्तियों के परिवारजन (Close Family Contact)
3. **मेडिकल मास्क का उपयोग**
    - एक बार में अधिकतम 6 घण्टे तक ही किया जावे।
    - पहने हुए मेडिकल मास्क को बार–बार न छूये।
    - यदि इस दौरान मास्क गीला हो जाये तो उसे तत्काल बदला जावे।
    - मास्क को गर्दन में लटाकर न रखें।
    - मास्क को हटाते समय मास्क की बाहरी सतह को न छूये।
4. मास्क को हटाते समय पहले उसकी नीचे वाली डोरी खोले, उसके बाद उपर वाली डोरी को खोले।
5. उपयोग किये गये मास्क का दुबारा उपयोग न किया जावे।
6. मास्क के निस्तारण हेतु प्रयोग किये गये मास्क को विसंक्रमित (5 प्रतिशत ब्लीच सोल्यूशन या एक प्रतिशत हाईपोक्लोराईट सोल्यूशन) करने के पश्चात जला कर या जमीन में गहरा दबाकर नष्ट करें अथवा नगर निगम के कचरा संग्रहण वाहन के पीले रंग में डाले।

28/03/2020

(रोहित कुमार सिंह)

अतिरिक्त मुख्य सचिव